मौलिक अधिकार और कर्तव्य (Fundamental Rights and duties)

भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गये थे, किन्तु 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को अग्रलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं।

1- समानता का अधिकार (14-18)-

1- कानून के समक्ष समानता-(14) - अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। अर्थात् सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। कोई विधि से ऊपर नहीं है।

2- अनु० 15 में सामाजिक समानता की बात कही गयी है। इसके अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

3- राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर (16) - अनु० 16 के अनुसार "सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जायेगा।" लेकिन कमजोर वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे।

4- अस्पृश्यता का निषेध (17) अनु० 17 में कहा गया है कि "अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दण्डनीय अपराध होगा।"

5- उपाधियों का निषेध (18)- अनु० 18 में व्यवस्था की गई है कि "सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

2- स्वतंत्रता का अधिकार (19-22) -

① i- अनु० 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
2- अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता।
3- समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता।
4- निर्बाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता।
5- भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता।
6- वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता।

2- अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण (20) - अनु० 20 में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।"

3- व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा (21) - अनु० 21 के अनुसार "किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।"

4- बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण (22) - अनु० 22 के अनुसार "उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदीगृह में नहीं रखा जायेगा।"

3- शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24) -

1- अनु० 23 के अनुसार किसी भी स्त्री पुरुष और बच्चों का खरीद बिक्री अपराध है। और इस अपराध के लिए कानून के द्वारा दण्ड देने की कठोर व्यवस्था की गई है।

2- अनु० 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों या बालिकाओं को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी प्रकार के खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान की अनु० 23 और 24 की व्याख्या से लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना ही परिलक्षित होती है।

Scanned by TapScanner

4- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28) -

1- अनु० 25 - सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

2- अनु० 26 - धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार।

3- अनु० 27 - धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट - राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।

4- राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध (28) - अनु० 28 के अनुसार - राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी।

5- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (29-30) -

1- अनु० 29 - नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।"

2- अनु० 30 - धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा।

6- संवैधानिक उपचारों का अधिकार - (32)

(Habeas Corpus)

1- बंदी प्रत्यक्षीकरण - इसका तात्पर्य बंदी या कैदी को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। यदि न्यायालय को मालूम होता है कि बंदी बनाए गये नागरिक को गलत ढंग से किसी अधिकारी ने बंदी बनाया है तो उसे छोड़ने का आदेश न्यायालय देता है।

2- परमादेश (Mandamas) - इसका तात्पर्य कर्तव्य पालन का आदेश देना है। यह एक ऐसा लेख है जो किसी

Scanned by TapScanner

सार्वजनिक या प्रशासकीय अधिकारी को ऐसा अमुक कार्य करने का आदेश देता है जो इस अधिकारी के दायित्व का ही एक भाग है किन्तु वह पूरा नहीं कर पाया।

3- प्रतिषेध (Prohibition)- यह एक न्यायिक लेख है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने से निचले न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।

4- उत्प्रेषण (Certiorari) - उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय को न्यायाधिकरण या न्यायिक कार्य सम्पादित करने वाले किसी पदाधिकारी को दिया गया आदेश है। जिसमें निचले न्यायालय या पदाधिकारी से यह कहा जाता है कि वह अपने यहां विचाराधीन विवाद एवं उससे संबंधित सभी कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे।

5- अधिकार पृच्छा (Quo-warranto) - अधिकार पृच्छा लेख किसी अदालत द्वारा यह ~~जासी~~ देखने के लिए जारी किया जाता है कि कोई पार्टी जिस पद या विशेषाधिकार का दावा कर रही है, वह कहां तक वैध है और उसका दावा वैध नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा।

मूल ~~अधिक~~ कर्तव्य (Fundamental Duties)

भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों का तो वर्णन किया गया ~~था~~ परन्तु उनके कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों के साथ-2 कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनु॰ 51(क) जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों का ~~उल्लेख किया~~ समावेश किया गया है। अनु॰51 'क' के अनुसार नागरिको ~~के~~ निम्नांकित 10 मूल कर्तव्य हैं:-

1- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीयगीत का आदर करे।

2- राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को धारण करे और उनका पालन करे।

Scanned by TapScanner

3- भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे।
4- राष्ट्र की रक्षा करे।
5- भारत के सभी नागरिकों में समान बंधुत्व की भावना का विकास करे।
6- राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवपूर्ण परम्परा को बनाए रखे।
7- प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन करे।
8- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास करे।
9- सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें।
10- सभी दिशाओं में वैयक्तिक और सामूहिक उत्कर्ष का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें।

Scanned by TapScanner

नारीवाद (Feminism)

नारीवाद एक विचारधारात्मक आन्दोलन है जिसके साथ जुड़े हुए विचार की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के अंग के रूप में पहचान सकते हैं। इस सामान्य सिद्धान्तों के संदर्भ में यह पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से गहरा सरोकार रखता है। नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केन्द्रित करता है और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करता है।

नारीवाद का दावा है कि अतीत तथा वर्तमान समाजों में स्त्रियों को अपने स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐतिहासिक क्रम में इस आन्दोलन के मुख्य मुद्दे ये रहे हैं कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाये। सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री-पुरुष की समानता स्वीकार की जाये और स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए स्त्रीत्व (Womanhood) की नई परिभाषा दी जाये।

Scanned by TapScanner